एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एन्कोर एआरसी)

एन्कोर एआरसी निगमित कार्यालय पता : 5वां तल, भूखंड सं. 137, सेक्टर–44, गुरुग्राम – 122002, हरियाणा

(पूर्वाग्रह के बिना)

ईएआरसीओआरईएआरसी/आईसीएफएल/एसएसएफएम/2324/0301 दिनांक : 28–03–2024

मैसर्स स्पार्कलिंग स्प्रिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट (उधारकर्ता), 5/9, कक्ष सं. 201, सरस्वती मार्ग, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, सेंट्रल, दिल्ली–110005	**श्री प्रीतपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रीतम सिंह (सह-उधारकर्ता),** ए–94, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली – 110015 अन्य पता यहां पर भी : 5/9, कक्ष सं. 201, सरस्वती मार्ग, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, सेंट्रल, दिल्ली–110005
श्री कुलवंत सिंह होरा पुत्र स्वर्गीय प्रीतम सिंह (सह-उधारकर्ता) एम–273, गुरु हरकिशन नगर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 **अन्य पता यहां पर भी :** 5/9, कक्ष सं. 201, सरस्वती मार्ग, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, सेंट्रल, दिल्ली–110005	**श्रीमती तरणजीत कौर (सह-उधारकर्ता)** 5/9, कक्ष सं. 201, सरस्वती मार्ग, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, सेंट्रल, दिल्ली–110005
मैसर्स एवरशाईन हाउसकीपिंग सर्विस (उधारकर्ता), 5/9, कक्ष सं. 201, सरस्वती मार्ग, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, सेंट्रल, दिल्ली–110005	

श्रीमान/श्रीमती,

विषय : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत मैसर्स स्पार्कलिंग स्प्रिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट (उधारकर्ता) की उस प्रतिभूत परिसंपत्ति के सार्वजनिक ई-नीलामी विक्रय की सूचना, जिसका अधिग्रहण नियमावली के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफॉएसि अधिनियम") की धारा 13(4) के अंतर्गत लिया जा चुका है।

आप अवगत हैं कि सरफॉएसि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ("एन्कोर एआरसी") ने एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 30.12.2023 द्वारा रेखांकनकारी सभी प्रतिभूतियों के साथ इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ("आईसीएफएल") द्वारा उधारकर्ता को स्वीकृत वित्तीय सहायता का अधिग्रहण कर चुकी है।

एन्कोर एआरसी द्वारा वित्तीय सहायता का अधिग्रहण किये जाने से पूर्व, आईसीएफएल ने 24–06–2022 को सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत एक सूचना निर्गत की थी, जिसमें आपको वहां उस सूचना में अंकितानुसार बकाया राशियों का भुगतान करने की सलाह दी गयी थी। चूंकि आप सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशियों का भुगतान करने में विफल हो चुके हैं तथा भुगतान करने के दायित्व की उपेक्षा कर चुके हैं, अतएव आईसीएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ने 24–02–2023 को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अचल प्रतिभूत परिसंपत्ति का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है। कि, उपर्युक्त एसाइमेंट के अनुपालन में, प्रतिभूत परिसंपत्ति का भौतिक अधिग्रहण एन्कोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, हम एतद्द्वारा आपको नियमावली के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत सूचित करते हैं कि एन्कोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी, सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से 07–05–2024 को यहां इसमें ऊपर अधिक विशिष्ट रूप में वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय करेंगे। कि, पंद्रह दिवसीय सूचना अवधि के समापन पर, प्राधिकृत अधिकारी तद्नुसार नियमावली के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत सार्वजनिक ई–नीलामी की सूचना के प्रकाशन हेतु कार्यक्रम निर्धारित करेंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्ति, निर्धारित आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का विवरण यहां इसमें नीचे वर्णित है :

क्र. सं.	प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा
1.	सं. ए–94 धारक समस्त वह निर्मित संपत्ति जो भूखंड / अहाता सं. 8 पर, भूमि क्षेत्र मापन 550 वर्ग गज, खसरा सं. 2704/597 में से, ग्राम बसई दारापुर के क्षेत्र, दिल्ली राज्य दिल्ली, सुदर्शन पार्क एक्स. के रूप में विदित कॉलोनी, नई दिल्ली – 110015 में स्थित है।	रु. 3,82,00,000/– (रुपये तीन करोड़ बयासी लाख मात्र)	रु. 38,20,000/– (रुपये अड़तीस लाख बीस हजार मात्र)

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तें, कृपया नियमावली के नियम 9(7) के अनुसार, एन्कोर एआरसी की वेबसाइट अर्थात् **https://www.encorearc.com** एवं **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** पर भी अपलोड की जायेंगी।

आपका विश्वासपात्र,
हस्ता./–
सचिन कुमार – प्राधिकृत अधिकारी
कृते एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्तन ोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप मेंभ ाविष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रुपये में)	दिनांक/समय एवं कब्जे का प्रकार
1	46088640000088 और 4608020000866862	1) मैसर्स. मल्होत्रा ज्वैलर्स, इसके मालिक श्री सुरिंदर द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री सुरिंदर (उधारकर्ता), 3) श्रीमती हरजिंदर कौर (गारंटर), 4) मैसर्स. गुरुनानक ज्वैलर्स (गारंटर), 5) श्री गगनदीप सिंह (गारंटर), 6. श्री गुरदीप सिंह (गारंटर)	13.01.2024, रु. 4,23,605/– (रुपए चार लाख तेईस हजार छह सौ पांच मात्र) 11.01.2024 तक	दिनांकः 27.03.2024 समयः सुबह 11:15 बजे एवं प्रतीकात्मक कब्जा
		सुरक्षित संपत्ति का विवरणः भाग–'ए' – बंधक चल संपत्तिः खाते की किताबों में सभी कच्चे माल और स्टॉक पर पहला शुल्क और कंपनी के व्यावसायिक परिसर यानी मेसर्स मल्होत्रा ज्वैलर्स, लाइब्रेरी बाजार, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, हरियाणा–136135 के प्राप्य और बुक ऋण पर पहला शुल्क। भाग–'बी': बंधक अचल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति – संपत्ति विवरणः एक दुकान नगरपालिका समिति पुराना हाउस टैक्स नंबर 1, नया हाउस टैक्स नंबर 225, वार्ड नंबर 8, संपत्ति आईडीः एचएसएमसीडब्ल्यू0500082, क्षेत्रफल 11 वर्ग गज , अब दुकान नंबर 226, मुख्य बाजार, ससबा शाहबाद, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। जो श्री सुरिंदर सिंह, पुत्र श्री पूरन सिंह. के स्वामित्व में। इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः श्रीमती प्रकाशो, की दीवार और दुकान। पश्चिमः दरवाजा, दुकान और सड़क, उत्तरः दुकान का दरवाजा और सड़क पुस्तकालय बाजार, दक्षिणः जय भगवान की दीवार और दुकान।		
2	45288640000600 और 4528020000824684	1) मैसर्स. माँ लक्ष्मी उद्योग, इसके मालिक श्री सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत, 2) श्री सुनील कुमार (उधारकर्ता), 3)श्रीमती राजरानी (गुरेंटर), 4)श्रीमती गायत्री (गारंटर)	18.01.2024, रु.86,47,744/– (छियासी लाख सैंतालीस हजार सात सौ चौवालीस रुपये मात्र) 16.01.2024 तक	दिनांकः 27.03.2024 समयः दोपहर 04:55 बजे एवं प्रतीकात्मक कब्जा
		सुरक्षित संपत्ति का विवरणः प्लॉट क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, खसरा नंबर 192, 6/141 हिस्सा 7 बीघा, 1 बिस्वा में से, एम.सी. लिमिट के भीतर राजपूताना, पानीपत में स्थित है। श्रीमती राजरानी, पत्नी श्री बजरंगी लाल के स्वामित्व में।. इसकी सीमा इस प्रकार हैः उत्तरः सुभाष का प्लॉट, दक्षिणः राकेश शर्मा का प्लॉट, पूर्वः सैनी साहब का प्लॉट, पश्चिमः गली।		
3	32039440000027 और 32039670000014	1) मैसर्स. राजू सूरज कश्यप, प्रोप. राजीव फैशन प्वाइंट, इसके मालिक श्री राजू सूरज कश्यप द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। 2) श्री राजू सूरज कश्यप पुत्र सूरज कश्यप (उधारकर्ता), 3) श्रीमती धनवंती सूरज, पत्नी श्री सूरज (गारंटर)	13.01.2024, रु.5,93,492/– (पांच लाख तिरानबे हजार चार सौ बानबें रुपये मात्र) 11.01.2024 तक	दिनांकः 27.03.2024 समयः सुबह 09:38 बजे एवं प्रतीकात्मक कब्जा
		सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल संपत्ति का विवरणरू मकान नंबर 2005, गली नंबर 8 अशोक नगर, करनाल जिसका क्षेत्रफल 52 वर्ग गज यानी 1 बिस्वा है जिसमें 2बी–9बी का 1/49 हिस्सा शामिल है खेवट नंबर 3851, खसरा नंबर 5357 (2–6) में। श्री राजू सूरज कश्यप पुत्र सूरज कश्यप के स्वामित्व में।. इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः 37'–6'' अर्जुन का घर, पश्चिमः 37'–6'' वेद प्रकाश का घर, उत्तरः दूसरों का घर, दक्षिणः 13' चौड़ा रास्ता।		

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः हरियाणा
दिनांकः29.03.2024,

हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071 शाखा कार्यालय16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060100880615 **पंकज शर्मा (ऋणी)**, श्रीमती विद्या शर्मा (सह-ऋणी), श्रीमती लक्ष्मी शर्मा (सह-ऋणी)	12 फरवरी 2024 ₹ 607899/- रु. छह लाख सात हजार आठ सौ निन्यानवे मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित प्लॉट नं.- 151, खसरा नं.- 600/1, आकाश कुंज कॉलोनी, गांव- धरोती खुर्द, परगना लोनी, तहसील और जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 100 वर्ग गज.**
(खाता सं.) L9001060113008691 **शौकत अली (ऋणी)**, जमील (सह-ऋणी), कलवा (सह-ऋणी), श्रीमती सवरा बेगम (सह-ऋणी), श्रीमती रज्जो (सह-ऋणी)	12 फरवरी 2024 ₹ 2175919/- रु. इक्कीस लाख पचहत्तर हजार नौ सौ उन्नीस मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 412, एच नं. 70 गली नं. 5, गगन विहार ब्रह्मपुर लोनी, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 200 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060121370069 **तारिक अनवर (ऋणी)**, जहीरुल (सह-ऋणी), श्रीमती उजाला (सह-ऋणी)	12 फरवरी 2024 ₹ 558417/- रु. पांच लाख अट्ठावन हजार चार सौ सत्रह मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 505, गांव- जलपुरा परगना और तहसील- दादरी, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 50 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060723222515 **गरिमा रेडीमेड गारमेंट्स जरिए प्रोपराइटर श्रीमती सुनीता (ऋणी)**, विनोद कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती सुनीता (सह-ऋणी)	12 फरवरी 2024 ₹ 2050482/- रु. बीस लाख पचास हजार चार सौ बयासी मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित एच नं. 208-ए, केएच नं. 513, लक्ष्मी गार्डन, ब्लॉक डी, गांव - धरोती खुर्द, परगन लोनी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 50 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060123625121 **किशन गुप्ता (ऋणी)**, जयपाल गुप्ता (सह-ऋणी)	13 फरवरी 2024 ₹ 2314757/- रु. तेइस लाख चौदह हजार सात सौ सत्तावन मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 578, माली एन्क्लेव, गांव- लोनी परगना, तहसील और जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 150 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060124015349 **विकाश खटाना (ऋणी)**, रिंकू सिंह (सह-ऋणी)	12 फरवरी 2024 ₹ 999304/- रु. नौ लाख निन्यानवे हजार तीन सौ चार मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगर निगम सीमा मेट्रो और शहरी प्लॉट नं. 128 और 129 118 आजाद एन्क्लेव कॉलोनी गाजियाबाद, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 100 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060126528310 **श्री बालाजी क्रिएशन (ऋणी)**, सत्य नारायण (सह-ऋणी), कन्हैया लाल (सह-ऋणी)	15 फरवरी 2024 ₹ 663306/- रु. छह लाख तिरसठ हजार तीन सौ छह मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 202, प्लॉट नं. 17, तहसील गाजियाबाद, इलाईचीपुर परगना लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 40 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060121230031 **परविंदर नागर (ऋणी)**, जयवीर (सह-ऋणी), श्रीमती मुनेश (सह-ऋणी)	12 फरवरी 2024 ₹ 1482730/- रु. चौदह लाख बयासी हजार सात सौ तीस मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित मकान नं. 113, खेत नं. 133, जगनपुर अफजलपुर, परगना दनकौर, तहसील और जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 400 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060127460999 **श्रीमती मंजू ओमप्रकाश (ऋणी)**, विरजेश धीर सिंह (सह-ऋणी)	15 फरवरी 2024 ₹ 820806/- रु. आठ लाख बीस हजार आठ सौ छह मात्र दिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 1476, नवीन मंडी स्थल गगन विहार कस्बा दादरी परगना, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 52.5 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060128075163 व L9001060831932903 **महिपाल सिंह (ऋणी)**, नितिन पांचाल (सह-ऋणी), कृष्णा पांचाल (सह-ऋणी)	15 फरवरी 2024 ₹ 928176/- रु. नौ लाख अट्ठाइस हजार एक सौ छिहत्तर मात्र व ₹ 609662/- रु. छह लाख नौ हजार छह सौ बासठ मात्रदिनांक 12 फरवरी 2024	संपत्ति स्थित केएच नं. 357एमआई, नसर पुर परगना लोनी, भाटिया रोड, गाजियाबाद, ग्राम- लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 172 वर्ग गज**

स्थान : दिल्ली **दिनांकः 28–03–2024** **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड**

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

श्री वेंकटेश्वर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियां

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	श्री वेंकटेश्वर ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03.11.2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय-आरओसी दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51909DL2010PTC210153
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एएल-61, एलएससी, शालीमार बाग, दिल्ली–110088
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	22.03.2024 (आदेश की प्रति 27.03.2024 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	18.09.2024 (सीआईआरपी प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	अतुल जिन्दल पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P-02537/2021-22/13883
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : 906, अग्रवाल साइबर प्लाजा 1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 ई–मेल : ip.atuljindal@outlook.com
10	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	पता : 906, अग्रवाल साइबर प्लाजा 1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 ई–मेल : cirpsrivenkateshwar@gmail.com
11	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	10.04.2024
12	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	कोई नहीं
13	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोधन अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	कोई नहीं
14	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण उपलब्ध हैं :	(क) वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) प्रयोज्य नहीं

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने श्री वेंकटेश्वर ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध 22.03.2024 को कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया (आदेश की प्रति 27.03.2024 को प्राप्त हुई)

श्री वेंकटेश्वर ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 10.04.2024 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टि सं. 12 के सम्मुख सूचीबद्ध श्रेणी के रूप में वित्तीय लेनदार प्रपत्र गक में श्रेणी (श्रेणी निर्दिष्ट करें) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के सम्मुख सूचीबद्ध तीन शोधन अक्षमता पेशेवरों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि सूचित करेंगे।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

अतुल जिन्दल
तिथि : 27.03.2024 श्री वेंकटेश्वर ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P-02537/2021-22/13883

प्रपत्र– 'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
कालका होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियमन 36ए के उप–विनियमन (1) के तहत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

प्रासंगिक विवरण

1.	**कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.**	**कालका होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सीआईएनः**U70100DL2011PTC220842
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	आरजेड–174बी, गली नंबर 16, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110019 (एमसीए वेबसाइट के अनुसार)
3.	वेबसाइट का यूआरएल	www.kalkahomedevelopers.com
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार की अधिकांश संपत्ति राजस्थान के भिवाड़ी जिले में स्थित है।
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	लागू नहीं
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य/पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	केवल 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष तक के वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं। अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2023 में शून्य बिक्री हुई थी।
7.	कर्मचारियों/कामगार की संख्या	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत व अन्य कार्यालयों में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं थे। अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार में शून्य कर्मचारी है।
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध है	आईआरपी को cirp.kalka@gmail.com पर ई–मेल भेजकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	आईआरपी को cirp.kalka@gmail.com पर ई–मेल भेजकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	**16 अप्रैल 2024** (21:00 बजे से पहले) cirp.kalka@gmail.com पर ईमेल भेजकर और/या एफ–1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 पर व्यक्तिगत रूप से डिलीवरी
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	**26 अप्रैल 2024**
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**01 मई 2024**
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	**11 मई 2024**
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	**16 मई 2024**
15.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	**15 जून 2024**
16.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	**cirp.kalka@gmail.com**

हस्ता/–
मुकेश गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, कालका होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
तिथि : 29.03.2024 **पंजीकरण सं.**:IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254
स्थान : नई दिल्ली एफ–1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका अधिग्रहण हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 17–अप्रैल–2024 (ई–नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर से देय–भुगतेय बकाया राशियों की वसूली के लिए किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज को डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के पास 16–अप्रैल–2024 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 पर प्रस्तुत / जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि / तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनात्मक/भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि
HHFGAZHOU21000011871 & HHFGAZLAP21000013387	कमल किशोर, अनीता पत्नी कमल किशोर	23/05/2022 रु. 18,01,539/– 27/03/2024 के अनुसार	भौतिक	रु. 10,60,000/– / रु. 1,06,000/–

संपत्ति का विवरण : फ्लैट सं. एस–4, द्वितीय तल, एल.आई.जी., एलएचएस, छताधिकारों के बिना, आवृत्त क्षेत्रफल माप 37.16 वर्ग मीटर अर्थात् 400 वर्ग फुट, भूखंड सं.–16 खसरा सं.–80 एमआई. यू. एम., सुदामापुरी कॉलोनी (कृष्णा वाटिका) ग्राम– डुंडाहेड़ा, परगना– लोनी, तहसील एवं जनपद– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201009, भूखंड सं. 16, इस प्रकार परिसीमित : उत्तर– भूखंड सं. 17, पूर्व– 20 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण– भूखंड सं. 15, पश्चिम– भूखंड सं. 33

नियम एवं शर्तें : ई–नीलामी पोर्टल **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से दिनांक 17–अप्रैल–2024 (ई–नीलामी तिथि) को अप. 2.00 बजे के उपरांत 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ आयोजित होगी। इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अथवा "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से धराज राशि जमा करें। ई–नीलामी के समापन के उपरांत असफल बोलीदाताओं को धराज राशि वापस कर दी जायेगी। ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें : 1. ई–नीलामी "जैसी है जहां है आधार" और "जैसी है जो है आधार" और "वहां जो कुछ भी है आधार" और "बिना किसी संसाधान आधार" पर आयोजित की जा रही है और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। 2. बोली वृद्धि राशि रु. 15,000/– (रुपये पंद्रह हजार मात्र) होगी। 3. ई–नीलामी, मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नंबर : 07961200576 / 544 / 594 / 596 / 531 / 583 / 569, 6351896643 और ई–मेल **support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net**) के माध्यम से उनके वेब पोर्टल **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर आयोजित की जाएगी। 4. यहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है, जो कि प्रतिभूत लेनदारों की जानकारी में है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के ऋणभारों, संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करनेवाले दावों/अधिकारों/बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। इस संबंध में, ई–नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की किसी प्रतिबद्धता या किसी अभ्यावेदन का गठन नहीं करता है और न ही गठन करता हुआ माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे। विक्रय, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगा। ई–नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं : **www.herohousingfinance.com**. 6. संभावित बोलीदातागण, पूर्वानुमति प्राप्त करके 10–अप्रैल–2024 को मध्या. 11.00 से अप. 2.00 बजे के मध्य संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु 15 दिवसीय विक्रय सूचना

उपरोक्त संदर्भित ऋणकर्ता / बंधककर्ता / गारंटरगणों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि का तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आज से ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् **www.herohousingfinance.com** पर उपलब्ध लिंक **https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice** का संदर्भ ग्रहण करें।

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 29–03–2024
स्थान : दिल्ली / राज्य श्री सुनील यादव, मोबाइल– 8818840495, ईमेल : assetdisposal@herohfl.com

शाखा तथा लॉकर का स्थानांन्तरण

सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि
एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड
8/483 श्री होटल, 1 फ्लोर हींग की मंण्डी, आगरा, उत्तर प्रदेश-282003
शाखा तथा लॉकर का स्थानांतरण 27 मई 2024 को निम्न लिखे पते पर हो रहा है।

नया पता :
एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड
8/209, ग्राउंड फ्लोर, मातंगी कॉम्प्लेक्स,
हींग की मंण्डी जिला-आगरा उत्तर प्रदेश-282003

सोमवार से शनिवार : सुबह 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक
दूसरे, चौथे शनिवार और प्रत्येक रविवार को बंद

लॉकर धारक के लिए निर्देश

- लॉकर पुनिट/इकाइयों की उचित स्थिति और ष्लेसमेंट को सक्षम करने के लिए पुनःपरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है।
- इसलिए हम आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि लॉकर की सामग्री को 23 मई 2024 को या उससे पहले हटा दिया जाए। लॉकर शिफ्ट 24 मई 2024 को होगा।
- शिफ्टिंग अवधि के दौरान ग्राहक लॉकर का संचालन नहीं कर पाएंगे। यदि ग्राहक शिफ्टिंग से पहले लॉकर सामग्री को हटाने में विफल रहता है, तो बैंक बिना किसी और सूचना के लॉकर के स्थानांतरण/संचालन को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होगा और लॉकरों के स्थानांतरण/संचालन/पुनः संरेखण के कारण होने वाली किसी भी क्षति/हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- लॉकर की सामग्री खाली होने के बाद, आपसे लॉकर को बंद करने और चाबी को बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है। शिफ्टिंग पूरी होने के बाद आप लॉकर का संचालन शुरू कर सकते हैं।

HDFC BANK

प्रपत्र सं. आईएनसी–25ए

पब्लिक कम्पनी को प्राईवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,
उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. क्लार्क्स ब्रिज होटल्स इंडिया लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय ऑफिस नं. 1, बेसमेन्ट, डी 823, सुन्दर नगर, फोर्टिस हॉस्पिटल के पीछे, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान 302017 है के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे परिवर्तन को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 18 मार्च, 2024 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए इच्छुक है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/ स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए एक शपथ पत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, आरओसी भवन, रूपाल पार्क सोसायटी के सामने, अंकुर बस स्टैंड के पीछे, नारणपुरा, अहमदाबाद 380013, गुजरात के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिये।

कृते एवं के लिये
मै. क्लार्क्स ब्रिज होटल्स इंडिया लिमिटेड
प्रकाश बेदी
(निदेशक)
दिनांकः 29.03.2024
स्थानः जयपुर डीआईएनः 08853663

कैसर इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः L67190DL1979PLC009555, रजि. कार्यालयः 1971–72, कमरा नं. 3, भूतल, कूचा चेलान, खारी बावली चांदनी चौक, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली – 110006

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु स्टैंडअलोन अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में, ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	31.12.2023 को तिमाही समाप्ति	31.03.2023 को वर्ष दर से तिथि तक आंकड़े	पिछले वर्ष 31–12–2022 को समाप्त हुए संगत तिमाही
1	कुल आय	874.21	382.25	136.66
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पूर्व, आपवादिक और/या असाधारण मदें)	25.04	121.54	54.98
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	25.04	121.54	54.98
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	18.53	101.26	40.69
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर पश्चात्)	18.53	101.26	40.69
6	इक्विटी शेयर पूंजी	535.25	535.25	535.25
7	इक्विटी शेयर पूंजी का अंकित मूल्य	10	10	10
8	प्रति शेयर आय (मूलभूत/तरलीकृत)	0.35	1.89	0.76

टिप्पणीः– उपरोक्त सेबी (एलओडीआर) विनियम-2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजो के साथ दाखिल तिमाही और नौ महीने की समाप्ति पर अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। समाप्त तिमाही और नौ महीने के अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कैसर इंडिया लिमिटेड हेतु
हस्ता/– समीर शाह
प्रबंध निदेशक
दिनांकः 27-03-2024
स्थानः दिल्ली डीआईएनः 08712851

केन फिन होम्स लिमिटेड

केनरा बैंक के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं सी–3, सैक्टर–1, नोएडा पिनकोड–201301
फोनः 0120–2970164/65/67 मोबाइलः 7625079126
ई–मेल : noida@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांक **15.12.2023** को जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्री देव दास पुत्र श्री महि पाल सिंह, श्रीमती मालवती पत्नी श्री देव दास, श्री पाल पुत्र श्री महि पाल सिंह** और (गारंटर) **श्री इकबाल पुत्र श्री वली मोहम्मद, श्रीमती निर्मल पुत्री श्री चिम्मन लाल** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रु.44,10,592/– (रुपए चौवालिस लाख दस हजार पाँच सौ बानबे मात्र)** वसूली की तारीख तक, संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज के साथ उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/रों, गारंटर/रों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **27 मार्च 2024** को प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड की बकाया राशि राशि **रु.44,10,592/– (रुपए चौवालिस लाख दस हजार पाँच सौ बानबे मात्र)** तथा उस पर आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नंबर 99, किला नंबर 4(8–0), क्षेत्रफल 120 वर्ग यार्ड, प्लॉट नंबर एफसीए 1063, ब्लॉक सी, संजय गांधी मेमोरियल (एसजीएम) नगर, एनआईटी, फरीदाबाद–121001

सीमाएँ: उत्तर : – 15 फुट चौड़ी सड़क पूर्व : – संपत्ति का शेष भाग
पश्चिम : – अन्य प्लॉट दक्षिण : – अन्य प्लॉट द्वारा

हस्ता./-
तिथि : 28.03.2024, **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : नोएडा **केन फिन होम्स लिमिटेड**

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 425, उद्योग विहार फेज IV, गुड़गांव–122015 (हरियाणा)
फोनः 0124–4212530/31/32, ई–मेलः customercare@shubham.co वेबसाइटः www.shubham.co

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत 'अधिनियम' संबोधित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

आपको सूचित करना है कि आपके ऋण खाता को प्रतिभूत ऋणदाता शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 608–609, 6ठवां तल, ब्लॉक–सी अंसल इंपीरियल टॉवर, कम्युनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028 में स्थित है (यहां इसमें इसके उपरांत 'एसएचडीएफसीएल' संबोधित), के द्वारा एनपीए के रूप में घोषित कर दिया गया है तथा आप अपने ऋण के समक्ष निर्धारित कुल बकाया राशि का एसएचडीएफसीएल को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। आप आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदागत दर पर भावी ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। अतः हम एतद्द्वारा आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर एसएचडीएफसीएल के प्रति निर्धारित अपने संपूर्ण भुगतान–दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश देते हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर एसएचडीएफसीएल, अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त होगी। ऋणकर्ताओं तथा प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या उधारकर्ता का नाम	आवेदक का पता	मांग सूचना की राशि एवं तिथि	सुरक्षित संपत्ति
1.	0KHI1606000005000383, गजेंद्र चौधरी, बंटी चौधरी, शशि चौधरी	मकान सं.– 0 यूसुफपुर चकशावेरी नोएडा पीएस बिसरख तहसील दादरी जनपद– गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301	रु 3,75,954/– एवं 22–03–2024	खसरा सं. 123, ग्राम– यूसुफपुर, चकशावेरी, तहसील– दादरी, जनपद– गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201301
2.	0CTR2002000005026847, विनोद कुमार, निशा देवी	201, द्वितीय तल खुशी होम्स, राजेंद्र पार्क, संडे मार्केट के सामने, गुड़गांव, हरियाणा– 122001	रु 9,76,803/– एवं 22–03–2024	फ्लैट नं. 05 ऊपरी भू तल भूखंड सं. 7 खेवट / खाता सं. 4484 / 5981 खसरा सं. 98 (3–18–0) हल कॉलोनी राजेंद्र पार्क गुड़गांव हरियाणा– 122001

स्थानः गुड़गांव, प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 29–03–2024 शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

श्रीराम फायनैंस लिमिटेड, पूर्वतः श्रीराम सिटी यूनियन

फायनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के साथ समामेलित, इसका पंजीकृत कार्यालय श्री टावर्स, प्लॉट नंबर 14–ए, साउथ फेज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600 032 में स्थित है

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

जबकि ऋण खाता एनपीए हो गया, प्राधिकृत अधिकारी (एओ) ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत 60 दिन की मांग सूचना तालिका में वर्णित कर्जदार को जारी की थी। सूचना के अनुसार यदि कर्जदार 60 दिन के भीतर राशि जमा नहीं करता है तो राशि की वसूली नीचे दिए अनुसार प्रतिभूति की नीलामी से वसूल की जाएगी। जबकि कर्जदार/गारंटर को भेजी गई मांग सूचना की तामील नहीं हो सकी, अतः मांग सूचना की प्रति निम्नवर्णित प्रतिभूत आस्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतएव, आप कर्जदार को सूचित किया जाता है कि ऋण राशि भावी ब्याज और वसूली खर्चों के साथ 60 दिन के भीतर जमा कर दें, अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और 14 के प्रावधानों के तहत एओ नीचे दिए अनुसार प्रतिभूति का कब्जा लेने हेतु स्वतंत्र है।

कर्जदार का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि और राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन
1) मैसर्स ओम शंकर डिटेक्टिव ऐंड सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक श्री उमा शंकर पुत्र श्री शोभा नाथ यादव के माध्यम से 2) श्रीमती इंदु देवी पत्नी उमा शंकर, इसके निदेशक श्रीमती इंदु देवी पुत्र श्री शोभा नाथ यादव के माध्यम सें	01–01–2024 रू. 62,44,693/– दिनांक 01–01–2024 तक	सम्पत्ति – सम्पत्ति मकान नंबर 21, क्षेत्रफल परिमाप 50 वर्ग गज यानी 41.805 वर्ग मीटर, जो कि पूरी कवर्ड है तथा खसरा नंबर 1014/2, सुभाष पार्क, खोड़ा कालोनी, ग्राम खोड़ा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) पिन कोड – 201307, उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकारों के साथ, सम्पत्ति निम्नानुसार परिबद्ध है :– पूरब : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : पांडे का प्लॉट, उत्तर : 15 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : धरम सिंह का प्लॉट

तिथि : 29–03–2024 स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी श्रीराम फायनैंस लिमिटेड

Edelweiss | ASSET RECONSTRUCTION

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई 400098 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय : एडलवाइस हाउस, विंडसर लेन, कोलीवरी विलेज, एमएमआरडीए एरिया, कलीना, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400098

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के तहत सूचना

एतद्द्वारा कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटरों को सूचना दी जाती है, जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा ग्रहण की गयी ऋण सुविधा के मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है और जिन्हें ऋण खाते को 06.11.2021 को गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूचनाएं एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (एडलवाइस एआरसी ट्रस्ट–एससी 420 के ट्रस्टी के रूप में क्षमता में कार्यरत) द्वारा एसाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में उनसे सम्पूर्ण बकाया की मांग करते हुए उनके अन्तिम ज्ञात पते पर जारी की गयी थीं। हालांकि कुछ सूचना(ओं) को अनसर्व्ड वापिस कर दिया गया था और अब उन्हें इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जाता है।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता	एनपीए की तिथि	13(2) की तिथि	बकाया राशि/ नियत तिथि
1. मैसर्स कार क्लिनिक (कर्जदार) अपने प्रोपराइटर के माध्यम सेः श्री हर्ष वर्धन, शो रूम नंबर सीसी–211, टाइप–ए, ग्राउंड फ्लोर, गोल मार्केट, जवाहर नगर, जयपुर–302004, राजस्थान, इसके अलावाः हाउस नंबर 2 जीए 8 , सेक्टर 2, जवाहर नगर, जयपुर में हाउसिंग एस्टेट, सरस्वती स्कूल के पास, जयपुर, राजस्थान–302004, इसके अलावाः ए–502, साउथेंड होम्स, नीलकंठ अपार्टमेंट, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के सामने, जगतपुरा, जयपुर–302017, 2. श्री हर्ष वर्धन (बंधककर्ता/सह–कर्जदार) पुत्र स्वर्गीय श्री मोहन लाल ठाकर, हाउस नंबर 2 जीए 8, सेक्टर 2, जवाहर नगर, हाउसिंग एस्टेट, जयपुर, सरस्वती स्कूल के पास, जयपुर, राजस्थान–302004, यहां भीः ए–502, साउथेंड होम्स, नीलकंठ अपार्टमेंट, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के सामने, जगतपुरा, जयपुर–302017, 3. श्रीमती चंद्र कांता ठाकर (बंधक/सह–कर्जदार) पत्नी स्वर्गीय श्री मोहन लाल ठाकर, हाउस नंबर 2 जीए 8, सेक्टर 2, जवाहर नगर, हाउसिंग एस्टेट, जयपुर, सरस्वती स्कूल के पास, जयपुर, राजस्थान–302004, साथ हीः ए–502, साउथेंड होम्स, नीलकंठ अपार्टमेंट, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के सामने , जगतपुरा, जयपुर–302017, 4. श्रीमती भारती ठाकर (सह–कर्जदार) पत्नी श्री हर्ष वर्धन, मकान नंबर 2 जीए 8, सेक्टर 2, जवाहर नगर, जयपुर में हाउसिंग एस्टेट, सरस्वती स्कूल के पास, जयपुर, राजस्थान –302004, साथ हीः ए–502, साउथेंड होम्स, नीलकंठ अपार्टमेंट, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के सामने, जगतपुरा, जयपुर–302017,	06.11.2021	20.03.2024	30.12.2023 को रु. 2,90,79,932.92 (रुपये दो करोड़ नब्बे लाख उन्यासी हजार नौ सौ बत्तीस एवं बानबे पैसे मात्र) और 31.12.2023 से इस नोटिस के जारी होने के बाद अतिरिक्त ब्याज और कोई अन्य खर्च/लागत

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण

सम्पत्ति की अनुसूची

संपत्ति 1: संपत्ति शो रूम नंबर सीसी–211, टाइप ए, गोल मार्केट, सेक्टर 2 के सामने, जवाहर नगर, जयपुर–302004, राजस्थान का समस्त भाग, माप 98.40 वर्ग मीटर, सीमाएँ: पूर्वः शो रूम नंबर सीसी–212, पश्चिमः शो रूम नंबर सीसी–210, उत्तरः पार्किंग, दक्षिणः बरामदा/पार्किंग। प्रोपराइटरः श्री हर्ष वर्धन ठाकर पुत्र स्वर्गीय श्री मोहन लाल ठाकर

संपत्ति 2: मकान नंबर 2– जीए–8, सेक्टर 2, जवाहर नगर, हाउसिंग एस्टेट, जयपुर, सरस्वती स्कूल के पास, जयपुर, राजस्थान–302004 से संबंधित सभी भूखंड, जिनकी माप 220 वर्ग मीटर, सीमाएंः उत्तरः मकान नंबर 2 जीए 21, पूर्वः मकान नंबर 2 जीए 7, दक्षिणः सड़क, पश्चिमः मकान नंबर 2 जीए 9, प्रोपराइटरः श्रीमती चंद्र कांता ठाकर पत्नी स्वर्गीय श्री मोहन लाल ठाकर

उपरोक्त नामधारी कर्जदार और उनके गारंटरों तथा बंधककर्ताओं को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

तिथि : 29.03.2024 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : जयपुर एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (एडलवाइस एआरसी ट्रस्ट-एससी 420 के ट्रस्टी के रूप में क्षमता में कार्यरत)

www.readwhere.com